# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए / 132 / 2014**

## उनवान

1. श्रीमती कमला पत्नि रामदयाल ब्राह्मण निवासी जोधड़ास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. रूपाबाई दुख्तर नन्दकिशोर ब्राह्मण(मृतक)
   1/1–सुरेश कुमार पिता नानालाल ब्राह्मण(आमेटा) निवासी स्टेट बैंक के पास रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
   1/2–अशोक कुमार पिता नानालाल ब्राह्मण (आमेटा) हाल निवासी रोलेक्स बेरिंग प्रा0लि0राजकमल पैट्रोल पम्प के पीछे, गोल्डन रोड़ राजकोट तहसील व जिला राजकोट(गुजरात)
   1/3–नरेन्द्र कुमार पिता नानालाल ब्राह्मण(आमेटा) हाल निवासी रोलेक्स बेरिंग प्रा0लि0राजकमल पैट्रोल पम्प के पीछे, गोल्डन रोड़ राजकोट तहसील व जिला राजकोट(गुजरात)
2. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय भीलवाडा
3. तहसीलदार साहब आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि रमेशचन्द्र ब्राह्मण निवासी जोधड़ास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5. श्री भैरू पुत्र माधु कुमावत निवासी जोधड़ास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6. श्री सुखदेव पुत्र माधु कुमावत निवासी जोधड़ास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)आसीन्द के प्रकरण संख्या 471 / 2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2011

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्तागण :–

1. श्री संजय सेन, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या1 / 1
3. श्री मुकेश जैन अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 4
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 13.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 /वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जोधड़ास तहसील आसीन्द की साबिक आराजी नम्बर 1642 / 706 / 1 रकबा 7.13 बीघा व आ0नं0 1643 / 706 / 1 रकबा 2.00बीघा कुल कीता 2 कुल रकबा 9.13 बीघा भूमि वादीया के खातेदारी में स्थित है। उक्त साबिक आराजी नम्बर के नवीन नम्बर 1489 से लगायत 1496 कुल कीता 8 कुल रकबा 1.77 हैक्टर बने है। साबिक रकबा 9.13 बीघा का हाल रकबा 2.08 हैक्टर बनते हैं परन्तु साबिक के मुकाबले हाल रिकॉर्ड में वादीया के खाते में 0.23 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गई। वादीया साबिक रेकार्ड अनुसार काबिज हो काश्त कर रही है।
2. प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के साबिक आराजी नम्बर 1641 / 706 / 1 रकबा 8.00 बीघा थे जिसके नवीन आराजी नम्बर 1503 से लगायत 1508 बने हैं जिसका कुल रकबा 1. 95 हैक्टर दर्ज किया जो गलत है। अर्थात भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के नाम पर 0.23 हैक्टर अधिक रकबा दर्ज कर दिया। वादीया की साबिक आ0नं0 1642 / 706 / 1 के हाल नम्बर 2158 / 1493 बनाए उसका

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 0.09है0 भूमि वादीया के बजाय राज्य सरकार के खाते में बिलानाम दर्ज कर दी। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी की साबिक आ0नं0 1641 / 706 / 1 रकबा 8.00 बीघा के हाल नम्बर 1497 से 1502 कीता 6 कुल रकबा 1.65 है0 दर्ज कर दी तथा आ0नं0 2159 / 1501 रकबा 0.06है0 भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादीया के कमी रकबा 0.22 हैक्टर की कमी पूर्ति बिलानाम आ0नं0 1498 में से 0.09है0 व प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी की आराजी नम्बर 1499 से 1501 में से 0.13 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 की उक्त आराजीयात के दक्षिण तरफ मिला दिया। और प्रतिवादी संख्या 3 का इतना ही कमी रकबा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की आराजीयात में मिला दिया। उक्त वाद को प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने जवाब दावे में स्वीकार किया है। वादीया का वाद स्वीकार किया गया एवं आ0नं0 2158 / 1493 रकबा 0.09 है0, आ0नं0 1498 में से 0.09है0 तथा आराजी नम्बर 1499 से 1501 में से 0.13 हैक्टर कुल 0.31 हैक्टर का वादीया को खातेदार घोषित किया गया एवं इतना ही रकबा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की आ0नं0 1503, 1504, 1506 व 1507 में से 0.13 है0 प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज कर खातेदार घोषित किया गया। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे तथा शेष रकबा बदस्तूर रखा जावे। इसी अनुसार पर्चाडिक्री जारी की गई।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 24.06.2014 को हुई। जब वादीया / प्रत्यर्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर आयी और कहा कि तुम विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लो क्योंकि मैने एस0डी0ओ0 कोर्ट से तुम्हारे खिलाफ निर्णय पारित करवा लिया है। तब अपीलार्थीया ने अपने अधिवक्ता के मार्फत मामले की जानकारी करवाई तत्पश्चात दिनांक 26.06.2014 को नकल का आवेदन प्रस्तुत कर नकलें प्राप्त होते ही अविलम्ब यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 / 1 व 4 के द्वारा निवेदन किया कि अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं किए जाने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी / प्रतिवादी संख्या 4 को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुलाबपुरा में विचाराधीन था जो सहायक कलक्टर आसीन्द में अन्तरित किया गया। अन्तरित प्रकरण तनकीयात में नियत था। परन्तु प्रकरण गुलाबपुरा से आसीन्द न्यायालय में सुनवाई हेतु अन्तरित किए जाने की कोई सूचना दोनों अधिनस्थ न्यायालय स्तर से नहीं दी गई। जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2011 खारिज फरमावें। विद्वान अधिवक्ता वादीया / प्रत्यर्थी संख्या 1 / 1 ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी / प्रतिवादी संख्या 04 के अधिवक्ता को सुना गया है एवं विधिवत सुनवाई के पश्चात निर्णय पारित किया है विधिसम्मत होने से अपील खारिरज फरमाई जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में तनकीयात में नियत था। प्रकरण में बिना वाद बिन्दु कायम किए एवं बिना मुझ अपीलार्थी को सुने जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह निरस्त योग्य है। विद्वान अधिवक्ता वादीया / प्रत्यर्थी संख्या 1 / 1 एवं प्रत्यर्थी सं0 4 ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी / प्रतिवादी संख्या 04 के अधिवक्ता को सुना गया है एवं विधिवत सुनवाई के पश्चात निर्णय पारित किया है विधिसम्मत होने से अपील खारिरज फरमाई जावे।

1. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस के तथ्यों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं सतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

2. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न ग्राम जोधड़ास तहसील आसीन्द की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 37 में आ0नं0 1642 / 706 / 1 रकबा 7.13 बीघा भूमि अम्बालाल, डालचन्द पिता देवीलाल ब्राह्मण के नाम दर्ज थी। उक्त खाता नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 25. 06.1978 से श्रीमती रूपाबाई दुख्तर नन्दकिशोर ब्राह्मण के नाम दर्ज होना स्पष्ट है। इसी प्रकार आ0नं0 1643 / 706 / 1 रकबा 2.00 बीघा भूमि शाबूदीन पिता नेना रंगरेज सा0 आसीन्द के नाम दर्ज थी जो नामान्तरकरण संख्या 364 दिनांक 25.06.1978 से खाता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अम्बालाल पिता देबीलाल ब्राह्मण के नाम अंकित हुआ एवं नामान्तरकरण संख्या 365 दिनांक 25.06.1978 से खाता अम्बालाल के बजाय रूपाबाई दुख्तर नन्दकिशोर ब्राह्मण के नाम दर्ज होना स्पष्ट होता है। भूप्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल से साबिक आ0नं0 1643 / 706 / 1 रकबा 2.00 बीघा के नवीन नम्बर 1489 रकबा 0.22 हैक्टर तथा साबिक आ0नं0 1642 / 706 / 1 रकबा 7.13 बीघा के नवीन नम्बर 1490 रकबा 0.12 है0, आ0नं0 1491 रकबा 0.13 है0, आ0नं0 1492 रकबा 0.29 है0, आ0नं0 1493 रकबा 0.18 है0, आ0नं0 1494 रकबा 0.20 है0, आ0नं0 1495 रकबा 0. 23 है0, आ0नं0 1496 रकबा 0.40 है0 कुल कीता 8 कुल रकबा 1.77 हैक्टर बने है उक्त नवीन आराजीयात नकल जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 61 में रूपाबाई दुख्तर नन्दकिशोर ब्राह्मण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज होना स्पष्ट होता है।

3. नकल जमाबन्दी ग्राम जोधड़ास सम्वत् 2034 से 2037 में साबिक आ0नं0 344 / 2 रकबा 2.10 बीघा व आ0नं0 1641 / 706 / 1 रकबा 16.00 बीघा कुल कीता 2 कुल रकबा 18.10 बीघा भूमि श्री माधवलाल पिता रेवाशंकर ब्राह्मण सा0देह दर्ज थी। उक्त आराजीयात नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 25.06.1978 से आ0नं0 344 / 2 रकबा 2.10 बीघा भूमि रतन पिता घीसा कुमावत के नाम दर्ज हुई एवं नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 25.12.1978 से आराजी नम्बर 1641 / 706 / 1 माधवलाल की मृत्यु होने से विरासत से खाता मथुरालाल, रामदयाल पिता माधवलाल ब्राह्मण के नाम दर्ज हुआ। आ0नं0 1641 / 706 / 1 में से 1 / 2 हिस्से का बिकाव होने से नामान्तरकरण संख्या 374 दिनांक 13.01.1980 से खाता श्रीमती प्रेमबाई पत्नि रमेशचन्द्र ब्राह्मण सा0देह के नाम दर्ज हुआ।

4. मिलान क्षैत्रफल भूप्रबन्ध के अनुसार साबिक आ0नं0 1641 / 706 / 1 के नवीन आराजी नम्बर 1497 रकबा 0.02

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है0, आ0नं0 1498 रकबा 0.48 है0, आ0नं0 1499 रकबा 0.40 है0, आ0नं0 1500 रकबा 0.35 है0, आ0नं0 1501 रकबा 0.21 है0, आ0नं0 1502 रकबा 0.19 है0, आ0नं0 1503रकबा 0.47 है0, आ0नं0 1504 रकबा 0.43 है0, आ0नं0 1505 रकबा 0.10 है0, आ0नं0 1506 रकबा 0.41 है0, आ0नं0 1507 रकबा 0.23 है0, आ0नं0 1508 रकबा 0.31 है0 बने इनमें से नकल जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 61 में आ0नं0 1497 से 1502 कीता 6 कुल रकबा 1.65 है0 भूमि श्रीमती प्रेमबाई पत्नि रमेशचन्द्र ब्राह्मण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज हुई। तथा हाल आराजी नम्बर 1503 व 1504 श्री रामदयाल पिता माधुलाल के नाम तथा आ0नं0 1506, 1507, 1508 श्री भैरू, सुखदेव पिता माधुलाल सा0देह खातेदार अंकित है। आ0नं0 1505 चाह होने से दोनो के नाम अंकित है। साबिक एवं हाल आराजीयात के नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है।

5. अपीलार्थी का मुख्य कथन यह है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया। उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संख्या 471 / 2004 दिनांक 07.06.2004 को सहायक कलक्टर गुलाबपुरा में दर्ज हुआ एवं प्रथम सुनवाई की तारीख 17.06.2004 नियत की गई। इसमें अपीलार्थी / प्रतिवादी संख्या 3 को सूचना पत्र तामील होने पर दिनांक 05.08.2004 को जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध दिनांक 17.06.2004 को एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध दिनांक 24.02.2005 को एक तरफा आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राज्य पक्ष की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया उसमें अतिरिक्त कथन अंकित किया जिसके आधार पर आगामी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पेशी दिनांक 08.06.2006 को तनकी हेतु नियत की गई। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुलाबपुरा के न्यायालय में तनकी हेतु 05.08.2010 तक लम्बित था। अधिनस्थ न्यायालय गुलाबपुरा में अन्तिम आदेशिका दिनांक 05.08.2010 में तनकी हेतु आगामी तारीख 07.10.2010 नियत की गई। उक्त आदेशिका में किसी भी पक्षकार या उनके अधिवक्ता को प्रकरण अन्य न्यायालय में अन्तरित किए जाने सम्बन्धी या उन्हे दूसरे न्यायालय में उपस्थित रहने सम्बन्धी किसी प्रकार की तारीख दिए जाने सम्बन्धी कोई आदेशिका संधारित नहीं होते हुए प्रकरण को सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर गुलाबपुरा से सहायक कलक्टर आसीन्द को अन्तरित किया गया।

6. सहायक कलक्टर आसीन्द में प्रकरण अन्तरित होकर प्राप्त होने पर न तो प्रकरण को वाद पंजिका में दर्ज किया न ही सुनवाई की तारीख दिनांक 07.10.2010 के सम्बन्ध में पक्षकारान को कोई सूचना पत्र जारी पत्रावली में संलग्न नहीं है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आसीन्द में प्रकरण संख्या 471 / 04 जो गुलाबपुरा न्यायालय के प्रकरण संख्या थे उसे ही यथावत मानते हुए दिनांक 07.10.2010 की आदेशिका संधारित की गई जिसमें आसीन्द बार की हड़ताल होने से आगामी तारीख पेशी 09.12.2010 नियत की गई। उसके पश्चात आदेशिका दिनांक 09.12.2010, 23.02.2011 एवं 06.04.2011 में पीठासीन अधिकारी के दौरे एवं अवकाश में होने का अंकन होने से पेशीयां बदली गई। दिनांक 18.05.2011 की आदेशिका में वकील उभयपक्ष उपस्थित मिसल वास्ते तनकीयात कायमी हेतु दिनांक 13.07.2011 नियत की गई जबकि आदेशिका में किसी भी अधिवक्ता एवं पक्षकार के कोई हस्ताक्षर नहीं है। दिनांक 13.07.2011 से आगामी पेशी दिनांक 14.09.2011 दी गई। अर्थात प्रकरण तनकी हेतु

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नियत था परन्तु प्रकरण में कोई वादबिन्दु कायम नहीं कर सीधे ही दिनांक 14.09.2011 की आदेशिका में उभयपक्ष की इश्तदुआ पर बहस सुनी जाने का अंकन करते हुए अन्तिम निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जो विधिक प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं माना जा सकता है।

7. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रकरण सहायक कलक्टर गुलाबपुरा से सहायक कलक्टर आसीन्द में अन्तरित होने की कोई सूचना दोनो न्यायालय स्तर से पक्षकारान एवं अधिवक्तागण को किसी भी माध्यम से नहीं दिया जाना स्पष्ट होता है। प्रकरण को अन्तरित किए जाने सम्बन्धी भी कोई आदेशिका पत्रावली में संधारित नहीं है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में तनकीयात कायम किए जाने हेतु नियत होते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो वादबिन्दु कायम किए एवं न ही साक्ष्य सबूत लिए सीधे ही वादीया के वाद को बिना सुनवाई का अवसर दिए ही अन्तिम निर्णय एवं डिक्री जारी की है उसे विधिक दृष्टि उचित नहीं माना जा सकता है।

8. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2011 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिक तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत लेकर विस्तृत निर्णय पारित किया जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 132 / 2014

उनवान

1. श्रीमती कमला पत्नि रामदयाल ब्राह्मण निवासी जोधड़ास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. रूपाबाई दुख्तर नन्दकिशोर ब्राह्मण(मृतक)
   1/1—सुरेश कुमार पिता नानालाल ब्राह्मण(आमेटा) निवासी स्टेट बैंक के पास रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
   1/2—अशोक कुमार पिता नानालाल ब्राह्मण (आमेटा) हाल निवासी रोलेक्स बेरिंग प्रा0लि0राजकमल पैट्रोल पम्प के पीछे, गोल्डन रोड़ राजकोट तहसील व जिला राजकोट(गुजरात)
   1/3—नरेन्द्र कुमार पिता नानालाल ब्राह्मण(आमेटा) हाल निवासी रोलेक्स बेरिंग प्रा0लि0राजकमल पैट्रोल पम्प के पीछे, गोल्डन रोड़ राजकोट तहसील व जिला राजकोट(गुजरात)
2. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय भीलवाडा
3. तहसीलदार साहब आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि रमेशचन्द्र ब्राह्मण निवासी जोधड़ास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5. श्री भैरू पुत्र माधु कुमावत निवासी जोधड़ास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6. श्री सुखदेव पुत्र माधु कुमावत निवासी जोधड़ास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)आसीन्द के प्रकरण संख्या 471 / 2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2011

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

# अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 132 / 2014** मे सहायक कलक्टर **(उपखण्ड अधिकारी)आसीन्द** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 13.09.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री संजय सेन प्रत्थर्थी संख्या 1/1 के अधिवक्ता श्री गोपाल अजमेरा तथा प्रत्यर्थी सं0 4 के अधिवक्ता श्री मुकेश जैन एवं राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 13.09.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

**अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2011को खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।**

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 13.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

## अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस